तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **नरेन्द्र सिंह बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 32/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/04/2024	अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह निवासी बडला बासनी, तिंवरी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2024 में जोधपुर जिलें के शिक्षा विभाग माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालयों के सभी श्रेणी के कितने शिक्षक डेपुटेशन पर है उनसे संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1615 दिनांक 12.04.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तत जरिये पत्रांक 1533 दिनांक 21.02.2024 को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को अंतरित/स्थानान्तरित कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में चाही गई अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शिक्षा विभाग से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को अंतरित/स्थानान्तरित कर दी गई। अतः [illegible] शिक्षा अधिकारी, जोधपुर (लोक सूचना अधिकारी) द्वारा सूचना नही दी गई है तो उनके प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील [illegible] योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति [illegible]धित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:25:55 IST
Reason: SelfAttested